न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सि
आ

अपील संख्या 2/2023

1. दलीप
2. राजेन्द्र
3. महीपाल

उम्र व्यस्क, पुत्रगण नंदराम, जाति मेघवाल, निवासीगण सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झ

—— अप

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्प

——

प्रथम अपील अ0 धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार स मुकदमा उनवानी सरकार बनाम दलीप वगैरह मु0न0 198/2021 निर्णय दिनांक 28.01.2022 अ0ध लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

——

उपस्थितः—

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट— अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.0

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 28.0 के विरूद्व मय प्रा0प0 स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0 बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थीगण की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि निर्णय अ मातहत खिलाफ कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण के विरूद्व दिनांक 03.09.20 91 की कार्यवाही संस्थित की जिसके बाबत हल्का पटवारी ने ...2021 की भूमि ख0न0 39 के आ बाबत रिपोर्ट की हल्का पटवारी ने दलीप, महीपाल व रा... के विरूद्व एक साथ 91 की कार्यव रिपोर्ट की अर्थात दलीप, राजेन्द्र व महीपाल के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट की उक्त व्यक्तियों ने व कपास की फसल कर अतिक्रमण कर रखा है ... रिपोर्ट एक ... है आधार पर संयुक्त नोटिस दे दिया। धारा ... देना कानून की मन्शा के विरु अदालत मातहत ने आदेशिका में पर्याप्त तामिल नही करवाई। केवल दलीप के हस्ताक्षर है तथा पेशी में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ले ली। राजेन्द्र व महीपाल की तामिल बाबत पत्रावली में कोई नही है। अपीलार्थीगण को उक्त प्रकरण में सुनवाई का जबाबदेही का व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही मिला। भूमि ख0न0 39 गत ख0न0 728 मि0 व 727 से बने है जिसके बाबत भू—प्रबन्ध द्वारा जब जागीरे रिज्यूम हुई उस समय उक्त भूमि लीला पुत्र कुशाला की खातेदारी में थी तथा भ लगान नियत था उक्त भूमि में लीला पुत्र कुशाला का 2/9 हिस्सा था। लीला नंदराम का पिता था भू—प्रबन्ध विभाग के पर्चे में लगान चढाने का इन्द्राज है। भू—प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगाने में अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्तियो का हिस्सा दर्ज है तथा जागिर रिज्यूम के समय जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को काश्त कर है तथा काबिज है तथा नियत लगान अदा कर रहा है तो उक्त भूमि को उक्त व्यक्ति की खातेदारी में होना चाहिये। उक्त व्यक्ति के विरूद्ध राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3:2 राज/6/2007/पा जयपुर दिनांक 12.09.2018 के तहत 91 की कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलार्थीगण उक्त भूमि लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रभाव में आनें से पूर्व काबिज काश्त है। इसलिये लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत 91 कार्यवाही नही की जा सकती। जहां अपीलार्थीगण काबिज है वहां 40-50 व्यक्ति अलग-अलग रकबे काबिज काश्त है। पर्चा लगान के मुताबिक उक्त भूमि पर 50-60 व्यक्ति काबिज काश्त है। तहसीलदार महोदय ने दुर्भावना पूर्ण उद्वेश्य से अपीलार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की है। अतः 3 पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ पारित निर्णय दिनांकित 28.01.2022 को निरस्त किया जावे कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग नो दिया जाकर समुचित तामिल की कार्यवाही की जाकर सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणा पर निर्णय पारित करे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान दस सूची किता 1 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे दायर रिवीजन सं0 10/ ऑफ 80 उनवानी नत्थू बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 07.07.1986 एवं माननीय न्या राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे दायर अपील डिकी/टी0ए0/690/2014/चितौड़गढ उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार चितौडगढ बनाम कैलाश आदि मे पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016 माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर मे दायर डीबी सिविल स्पेशल अपील सं0 185/2001 उनवानी व अन्य बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय की नजीरे पेश करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों की पुन करते हुए निवेदन किया कि धारा 91 में अतिकमण की रिपोर्ट एक साथ है। उसी आधार पर संयुक्त दे दिया। धारा 91 में सयुंक्त नोटिस देना कानून की मन्शा के विरूद्ध है। अदालत मातहत ने आदेशि पर्याप्त तामिल नही करवाई। केवल दलीप के हस्ताक्षर है तथा एक ही पेशी में एकपक्षीय कार्यवाही अ ले ली। राजेन्द्र व महीपाल की तामिल बाबत पत्रावली में कोई इन्द्राज नही है। अपीलार्थीगण को प्रकरण में सुनवाई का जबाबदेही का व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही मिला। भूमि 39 गत ख0न0 728 मि0 व 727 से बने है जिसके बाबत भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जब जागीरे रिज्यूम हु समय उक्त भूमि लीला पुत्र कुशाला की खातेदारी में थी तथा भूमि का लगान नियत था उक्त भूमि में पुत्र कुशाला का 2/9 हिस्सा था। लीला नंदराम का पिता था। उक्त भू-प्रबन्ध विभाग के पर्चे में चढाने का इन्द्राज है। भू-प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगाने में अलग अलग व्यक्तियो का हिस्सा दर्ज है जागिर रिज्यूम के समय जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को काश्त कर रहा है तथा काबिज है तथा लगान अदा कर रहा है तो उक्त भूमि को उक्त व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज होना चाहिये। उक्त व्य विरूद्ध राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3:2 राज/6/2007/पार्ट-5 जयपुर दिनांक 12.09.20 तहत 91 की कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलार्थीगण उक्त भूमि लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 में आनें से पूर्व काबिज काश्त है। इसलिये लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत 91 की कार्यवाही नही सकती। जहां अपीलार्थीगण काबिज है वहां 40-50 व्यक्ति अलग-अलग रकबे पर काबिज काश्त है लगान के मुताबिक उक्त भूमि पर 50-60 व्यक्ति काबिज काश्त है परन्तु तहसीलदार महोदय ने पूर्ण उद्वेश्य से अपीलार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.01.2022 को निरस्त किया ज प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस दिया जाकर समुचित तामिल की कार्यवाही की जाकर सुन समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट की यह अपील मियाद मे नही है। अपीलान्ट के हस्ताक्षर इदालत मात आर्डरसीट पर है। मन्दिर भूमि पर वैसे ही कार्यवाही की जावेगी जैसे की सरकारी भूमियों के मामले

जाती है। अपीलान्ट को मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। राज
सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2)राज–6/2007पार्ट–5 जयपुर दिनां
09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति मे पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये
पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेंगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्र
विरूद्व करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के सरंक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगें। अपीलान्ट की यह
सारहीन है एवं अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज प
जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अप
ने कस्बा सूरजगढ स्थित भूमि ख0न0 39 रकबा 1.80 किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी मन्दि
गोपीनाथजी वाके देह के नाम से दर्ज रिकार्ड है मे अतिक्रमण किया है। चूंकि पत्रावली के अवलोक
बहस अपीलान्ट से साफ जाहिर है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र दलीप को ही नोटिस तामिल
गये है जबकि संयुक्त नोटिस मे राजेन्द्र एवं महीपाल भी शामिल है जिनको नोटिस की कोई जानका
होना साबित होता है। साथ ही भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चा के अनुसार विवादित भूमि का लैण्ड डिटर
चुका है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत को भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चे को मध्यनजर रखते हुए व
नोटिस मे सभी की तामिल की कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो अ
मातहत द्वारा नही किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर प्रक
निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे सभी पक्षकारों की
सुनिश्चित कर भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चे के मध्यनजर पक्षकारान् की पुनः सुनवाई करते हुए साक्ष्य एवं
के आधार पर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पिारित करे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में
प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मात
निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुड
जिला कलक्टर,
जिला कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested